अधिष्ठान पंजीयन की प्रक्रिया :-

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 के अंतर्गत अधिष्ठान के पंजीयन हेतु नियोजक को प्रारूप-1 पर तीन प्रतियों में पंजीकृत अधिकारी के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत डाक से आवेदन पत्र प्रस्तुत करे |

संलग्नक :-

प्रस्तावित निर्माण का मानचित्र / कार्यादेश

नियम एवं शर्ते :-

- नियम 24 के अधीन जारी किया गया प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात :-
    1. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अहस्तांतरणीय होगा; अर्थात्
    2. किसी स्थापन में भवन कर्मकार के रूप में नियोजित कर्मकारों की संख्या किसी भी दिन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र में निदिष्ट अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी; और
    3. इन नियमों से जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र देने के लिए संदत्त फीस अप्रतिदेय होगी ।
- नियोजक पन्द्रह दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को कर्मकारों की संख्या या कार्य की शर्तों में किसी परिवर्तन की यदि कोई हो, सूचना देगा ।
- नियोजक, किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के प्रारम्भ और पूरा होने से तीस दिन के पहले इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप-4 में उस निरिक्षक को लिखित सूचना भेजेगा जिसका उस क्षेत्र पर

विचाराधिकार है जहां प्रस्तावित भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य का निष्पादन किया जाना है, जिसमें ऐसे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के, यथास्थिति, प्रारम्भ या पूरा होने की वास्तविक तारीख की सूचना होगी ।

- स्थापन का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र केवल ऐसे भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य के लिए विधिमान्य होगा जो ऐसे स्थापन द्वारा कार्यान्वित किया गया है जिसके लिए उपधारा (3) के अधीन अपेक्षित सूचना दी गई है।
- रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की एक प्रति परिसरों के ऐसे सहजदृश्य स्थान पर प्रदिर्शित की जाएगी जहां भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य कार्यान्वित किया जाना है।

पंजीकरण फॉर्म :-

http://upbocw.in/UploadFiles/Download/Establishment%20Registration%20Form.pdf